बैठक में पेयजल, बिजली, सड़क, कृषि सहित जनहित के विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा

दौसा। जिला परिषद साधारण सभा की बैठक बुधवार को जिला परिषद के सभागार में जिला प्रमुख हीरालाल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें पेयजल, बिजली, सड़क, चिकित्सा, कृषि सहित जनहित के विभिन्न मुद्दों छाये रहें।

जिला प्रमुख हीरालाल सैनी ने कहा

■ **विभागीय अधिकारी गंभीरता से त्वरित कार्यवाही करें, ताकि जनसमस्याओं का हो निराकरण और गांवों के विकास को मिले गति : जिला प्रमुख**

साधारण सभा की बैठक में उपस्थित जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, सीईओ नरेन्द्र मीणा।

कि सदस्यों की ओर से उठाए मुद्दों पर संबंधित अधिकारी गंभीरता से त्वरित कार्यवाही करें, ताकि आमजन की समस्याओं का निराकरण हो और गांवों के विकास को गति मिले। जिला परिषद साधारण सभा के आरंभ में गत बैठक की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर कई सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उसके बाद सबसे पहले जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यों पर चर्चा करते हुए सदस्यों ने हर व्यक्ति को पेयजल उपलब्ध कराने और पेयजल पाइप लाइन डालने के दौरान टूटी सड़कें ठीक कराने पर चर्चा की।

अधीक्षण अभियंता ने सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के दौरान टूटी सड़कों के संबंध में समिति का गठन कर कार्यवाही की गई है। नियमानुसार कार्य करवाकर सड़कों को वाहन चलने योग्य बनाया गया है। उन्होंने सिकराय में सड़क ठीक कराने के संबंध में कहा कि वहां अधिशासी अभियंता ने जनप्रतिनिधियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर सड़कों की मरम्मत करवा दी है। इसी प्रकार इसरदा परियोजना के अधिकारियों ने बताया कि जैसे-जैसे पाइप लाइन डालने का कार्य हो रहा है, वैसे ही सड़कों की मरम्मत करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए 164 किलोमीटर सड़क प्रभावित हुई है, जिसमें लगभग 20 किलोमीटर सड़क की मरम्मत करवाना शेष है। जिले में यूरिया एवं डीएपी वितरण पर चर्चा के दौरान कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि डीएपी का वितरण विभागीय मॉनिटरिंग में करवाया जा रहा है। हर दुकान पर विभागीय कार्मिक की ड्यूटी लगाई हुई है।

इसके बावजूद भी अगर कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो उचित कार्यवाही की जा रही है। जिला परिषद सदस्यों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के मसलों पर चर्चा करते हुए विभिन्न गांवों में नई सड़कों की जरूरत, स्वीकृत एवं निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति, क्षितग्रस्त सड़कों की मरम्मत सहित विभिन्न मुद्दे उठाते हुए सुझाव रखे। बिजली पर चर्चा करते हुए सदस्यों ने ट्रांसफार्मर, बिजली लाइन शिफ्टिंग जैसी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर अधीक्षण अभियंता ने सदस्यों सकारात्मक कार्यवाही कर समस्याओं के निस्तारण के लिए आश्वस्त किया। इस दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, रसद विभाग, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कृषि विभाग, उद्यान, पशुपालन, जल संसाधन विभाग, मत्स्य पालन, श्रम विभाग, सहकारिता विभाग, आबकारी विभाग, मनरेगा योजना

विद्यार्थियों ने तिरंगा रैली निकालकर देश प्रेम की भावना जगाई

चाकसू। कस्बे के कस्तूरी देवी कॉलेज के तत्वावधान में विशाल तिरंगा रैली का हुआ। उपखण्ड अधिकारी निधि मीना, समाजसेवी नन्दकिशोर शर्मा , भाजपा नगर अध्यक्ष कृष्णा सैनी, चन्दन गुर्जर, महेश संस्था अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा, सह. संस्थापक सत्यनारायण शर्मा, उपाध्यक्ष भगवान सहाय शर्मा एवं निदेशक राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, सह निदेशक सुमित शर्मा, प्राचार्य डॉ. सुरेश शर्मा, मंन्जू शर्मा मैं तिरंगा रैली को कॉलेज प्रांगण से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जो कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए कॉलेज प्रांगण में पहुंची। तिरंगा रैली में क्षेत्र के गणमान्य लोग, समाज सेवी, आम जन, कॉलेज व्याख्याता, कर्मचारी एवं कॉलेज के विद्यार्थियों एवं युवा मण्डलों के सदस्य भागीदार बनें। राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने अपने उद्बोधन के माध्यम से छात्र छात्राओं को भारतीय संस्कृति सभ्यता के महत्व को बताते हुये राष्ट्र भक्ति का संन्देश दिया। उन्होने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के महत्व एवं उनके सम्मान के बारे समझाया।

तिरंगा रैली का कई स्थानों पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया

मुख्य ध्वज लेकर छात्र विशाल बैरवा ने तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। तिरंगा रैली में विद्यार्थियों ने भारत माता, रानी लक्ष्मी बाई, भगत सिंह, चन्द्र शेखर आजाद, महात्मा गांधी व अन्य देश के नायको की वेशभूषा में झांकिया प्रर्दशित की। इस तिरंगा रैली का कई स्थानों पर शहरवासियों द्वारा पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। विद्यार्थियों द्वारा देश भक्तिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने बताया की तिरंगा रैली का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों व युवाओं को इस देश को प्राप्त आजादी के महत्व को समझाया।

'अज्ञानता और लालची प्रवृत्ति के कारण हम साईबर अपराधों का शिकार होते है'

कोटपूतली। राजकीय एलबीएस पी.जी. महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की चारों ईकाईयों के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय साईबर अपराध समन्वय केंद्र 14 सी नई दिल्ली एवं आयुक्तालय के आदेशानुसार राष्ट्रीय साईबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

■ **राष्ट्रीय साईबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन**

राष्ट्रीय सेवा योजना जिला समन्वयक प्रो. अशोक सिंह ने अतिथियों एवं कार्यक्रम की जानकारी प्रस्तुत की। प्राचार्य प्रो. राजेंद्र कुमार सिंह ने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को मोबाईल व इंटरनेट पर कम से कम समय खर्च करने की सलाह दी और अपने कैरियर पर फोकस करने को कहा। मुख्य वक्ता जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने विद्यार्थियों को साईबर क्राईम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने युवाओं को सोशियल मीडिया के नशे से दूर रहने की राय दी। सोशियल मीडिया के युग में हमारी निजता और डेटा सुरक्षित नहीं है। अपनी सारी जानकारी सोशियल मीडिया पर शेयर करें हम डिजिटल फुट प्रिंट को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने फिशिंग, क्रिप्टो जैकिंग, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाईन बैंकिंग ठगी, साईबर ट्रेडिंग आदि की विस्तृत जानकारी दी।

एसपी बिश्नोई ने कहा कि हमें अनजान कॉल, मैसेज और लिंक से नहीं जुड़ना है संचालन कार्यक्रम अधिकारी प्रो. संदीप कुमार आर्य ने किया। कार्यक्रम अधिकारी प्रो. शुभलता यादव ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान एनसीसी प्रभारी प्रो. बाबूलाल मीणा, प्रो. नीरू. प्रो. मालीराम मीणा, प्रो. हरिराम धनेटिया, प्रो. बरखा, प्रो. माधुरी गंगावत, प्रो. कृष्ण पोसवाल समेत बड़ी संख्या में स्वयंसेवक, एनसीसी कैडेट्स व विद्यार्थी मौजूद रहे।

करवा चौथ पर्व पर महिलाए कर रही जमकर खरीदारी

पावटा। कस्बे के बाजारों में करवा चौथ पर्व को लेकर पूरी तैयारी दिख रही है। महिलाओं द्वारा इस पर्व के लिए जोर-शोर से खरीदारी की जा रही है, जिससे बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है। करवा चौथ की तैयारी में महिलाए सजावट के सामान, कपड़े, गहने, और विशेष करवे (पूजा के बर्तन) की जमकर खरीदारी कर रही है। दुकानदारों ने भी इस पर्व को ध्यान में रखते हुए स्टॉक को नयी-नयी वस्तुओं के साथ भर दिया है।

बाजार में साड़ियां, डिजाइनर लहंगे, पूजा की थालियां, करवे, श्रृंगार की वस्तुएं और विशेष चूड़ियों की भारी मांग देखी जा रही है। कई दुकानदारों ने विशेष करवा चौथ ऑफर और डिस्काउंट भी पेश किए हैं, जिससे महिलाओं का उत्साह और बढ़ गया है। करवाचौथ व्रत पर श्रृंगार, मेहंदी, पूजा व व्रत से जुड़ी सामग्री की खरीददारी के लिए बुधवार को उपखंड पावटा के सभी बाजार ग्राहकों से गुलजार रहे।

श्रद्धांजलि

श्री संजय कुमार एलानी

पुत्र श्री ओमप्रकाश जी एलानी के आकस्मिक निधन पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते है और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देवे एवं उनके परिवारजन को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

श्रद्धावनत- संजय मालपानी (मालपानी पब्लिसिटी) एवं समस्त स्टॉफगण, गणगौरी बाजार, जयपुर-9414063040

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया पाया

मेरे भूखण्ड संख्या ई-16, अभिनव विहार विस्तार योजना का मूल आवंटन पत्र कब्जा पत्र कहीं गुम हो गए है मिलने पर सम्पर्क करें। चैना राम चौधरी फोन नंबर-9116534524

मेरे भूखण्ड संख्या ई-43, अभिनव विहार विस्तार योजना का मूल आवंटन पत्र कब्जा पत्र कहीं गुम हो गए है मिलने पर सम्पर्क करें। महेन्द्र पाल सिंह फोन नंबर-98872 09290

मेरा मकान सं. 29/एस-6 धरौंदा, प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का मूल आवंटन पत्र, कब्जा पत्र भौतिक कब्जा पत्र, जमा रसीदें, कहीं गुम हो गयी है। मिलने पर सम्पर्क करें। विजयलता जैन-8619746748

भारत भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की आवासीय योजना-आनन्द निकेतन, जयपुर के पुराना भूखण्ड सं. 259 नया भूखण्ड सं. 251 का सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन रसीद, साईट प्लान व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कहीं गुम हो गये है। मिलने पर सूचित करें। विभा सुराणा-मोबाईल नम्बर 9820595850

भारत भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की आवासीय योजना-आनन्द निकेतन, जयपुर के पुराना भूखण्ड सं. 273 नया भूखण्ड सं. 264 का सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन रसीद व साईट प्लान कहीं गुम हो गये है। मिलने पर सूचित करें। विभा सुराणा-मोबाईल नम्बर 9820595850

भारत भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की आवासीय योजना-आनन्द निकेतन, जयपुर के पुराना भूखण्ड सं. 258 नया भूखण्ड सं. 250 का सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन रसीद, साईट प्लान व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कहीं गुम हो गये है। मिलने पर सूचित करें। विभा सुराणा-मोबाईल नम्बर 9820595850

मेरे भूखण्ड सं. A21(NEW),11(OLD) म्यूच्यूअल हाउसिंग को-आपरेटिव सोसाइटी लि. की योजना तारा नगर 1ST-A झोटवाडा जयपुर का सोसाइटी से जारी मूल सोसाइटी रसीद कहीं गुम हो गयी है सूचित करें-मोहन लाल वर्मा मो.-9887197160

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री गणेश दास वैष्णव पुत्र श्री राधेश्याम वैष्णव निवासी- डी/264, रामेश्वर नगर, बासनी फर्स्ट, फेस, जोधपुर राजस्थान-342005 हाल निवासी-प्लॉट नंबर-65, स्कीम-2, सिंधी कॉलोनी, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर 302012 का भाई राजू दास वैष्णव पुत्र श्री राधेश्याम वैष्णव मेरे अभिभाष्य व उसके परिवार के कहने में नही है मेरे अभिभाष्य ने कई बार समझाने की नाकाम कोशिश की उसके बावजूद भी मेरे अभिभाष्य का कहना नही मानते है इसलिए मेरे अभिभाष्य ने अपने भाई से सभी रिश्ते, नाते, खत्म कर दिये है तथा पूर्व में भी स्वयं के समाज के समक्ष भी मेरे अभिभाष्य ने संपूर्ण रिश्तो को समाप्त किया था भवीष्य मे कोई भी व्यक्ति, संस्था मेरे अभिभाष्य के भाई राजू दास वैष्णव से किसी भी प्रकार का कोई लेन देन व संव्यवहार करते है तो इसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। मेरे अभिभाष्य व उसके परिजन जिम्मेदार नही होंगे। सूचित रहे।

दि. 08.10.2025 किशोर गोपालानी (एडवोकेट) 9829980040

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर

क्रमांक : DHC-II/1098 **जाहिर आम सूचना** दिनांक : 07.10.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा फ्लैट संख्या 141/सी-902, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 51.33 वर्ग मीटर / वर्ग गज का आवंटन श्री राजकुमार परनामी पुत्र स्व. श्री गोकुल चंद एवं श्रीमती सीमा तनेजा पुत्री श्री राज कुमार परनामी को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1820 दिनांक 31.12.2015 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 11.05.2016 को प्राप्त कर लिया गया था। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 35 दिनांक 11.04.2016 के द्वारा श्री राजकुमार परनामी पुत्र स्व. श्री गोकुल चंद एवं श्रीमती सीमा तनेजा पुत्री श्री राज कुमार परनामी के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इसके पश्चात संयुक्त क्रेता श्री राजकुमार परनामी की मृत्यु दिनांक 18.10.2018 को हो जाने के कारण इनकी पुत्री श्रीमती सीमा तनेजा पुत्री स्व. श्री राजकुमार परनामी ने 1/2, अविभाजित हिस्से का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत वसीयतनामा प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त फ्लैट को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त फ्लैट के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति / आवेदक श्रीमती सीमा तनेजा पुत्री स्व. श्री राजकुमार परनामी के पक्ष में उक्त फ्लैट के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवसन आयुक्त महोदया से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबंधक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय नगर पालिका दूदू, जिला जयपुर

क्रमांक-न.पा.दू./2025-26/465 दिनांक-08.10.2025

आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका में निम्नानुसार आवेदकों ने अपने स्वामित्व दस्तावेजों के साथ आबादी भूमि नियमन हेतु आवेदन किया हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	पता	नाप (वर्गमीटर में)
1	श्री मुल चन्द कुमावत पुत्र श्री रामसहाय	प्लाट नं. 18 प्रेम नगर द्वितीय मालपुरा रोड,दूदू	125.41
2	श्री माल दान बारेठ पुत्र श्री पाबूदान	डाक बंगले के पास, कृषि मंडी रोड, अजमेर रोड,दूदू	138.99
3	श्रीमति माया देवी पत्नी श्री गिरधारी सोनी	रॉयल सिटी कॉलोनी, नरैना रोड, दूदू	96.27
4	श्री गोपाल लाल कुमावत पुत्र श्री रामचन्द्र कुमावत	शिवाजी नगर नरैना रोड, दूदू	125.41

अतः उपयुक्त आवेदकों के पक्ष में आबादी भूमि नियमन जारी करने बाबत किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज इस सूचना के जारी होने से 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दें बाद मियाद प्रस्तुत आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। सूचना में अंकित अवधि पश्चात पत्रावलियों के निस्तारण की कार्यवाही की जावेगी। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज दिनांक 08.10.2025 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका दूदू जिला जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

आवश्यक सूचना

आवास संख्या 1/516, एन.ई.बी.विस्तार योजना, अलवर जो कि मूलतः श्री मोहन सिंह पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह को आवंटन पत्रांक 528 दिनांक 06.05.2010 के द्वारा आवंटित किया गया था। मण्डल द्वारा आवास का अदेय प्रमाणपत्र क्रमांक 2730 दिनांक 31.08.2010 को श्री मोहन सिंह के नाम जारी कर दिया गया था। श्री मोहन सिंह द्वारा आवास की रजिस्ट्री स्वयं के नाम से उपपंजीयक कार्यालय, अलवर में दिनांक 24.01.2011 को पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्री मोहन सिंह द्वारा उक्त आवास का बेचान जर्ये पंजीकृत बयनामा दिनांक 29.07.2013 को श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री राकेश कुमार शर्मा को कर दिया गया। मण्डल द्वारा आवास का नाम लीज हस्तांतरण कार्यालय आदेश क्रमांक 1615 दिनांक 23.06.2015 को श्रीमती सुनीता शर्मा के नाम जारी कर दिया गया। श्रीमती सुनीता शर्मा द्वारा उक्त आवास का बेचान जर्ये पंजीकृत बयनामा दिनांक 09.09.2024 को श्रीमती सपना शर्मा पत्नी श्री ऋषभ कुमार को कर दिया गया। श्रीमती सपना शर्मा द्वारा उक्त आवास का मण्डल नियमानुसार लीज हस्तांतरण किये जाने हेतु दस्तावेज एवं शुल्क जमा करा कर आवेदन किया गया है। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त मूलतः आवास संख्या 1/516, एन.ई.बी. विस्तार योजना, अलवर के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती सपना शर्मा पत्नी श्री ऋषभ कुमार के पक्ष में आवास के लीज हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत अलवर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

आवश्यक सूचना

आवास संख्या 2/373, एच.डब्ल्यू.बी. योजना, अलवर जो कि मूलतः श्री एम.एल. फारीक पुत्र श्री फका लाल फारीक को आवंटन पत्रांक 6714 दिनांक 21.11.1987 एवं भवंटित आवंटन पत्रांक 7463 दिनांक 01.12.1987 के द्वारा आवंटित किया गया था। मण्डल द्वारा आवास का अदेय प्रमाणपत्र क्रमांक 559 दिनांक 14.05.1990 को श्री एम.एल. फारीक के पक्ष में जारी कर दिया गया था। श्री एम.एल. फारीक द्वारा आवास की रजिस्ट्री स्वयं के नाम से दिनांक 29.05.1990 को उपपंजीयक, कार्यालय अलवर में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्री एम.एल. फारीक द्वारा उक्त आवास का बेचान जर्ये पंजीकृत बयनामा दिनांक 20.12.1990 को श्री टीकाराम पुत्र श्री गंगिदास को कर दिया गया। श्री टीकाराम द्वारा उक्त आवास का बेचान जर्ये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 20.09.1996 को श्री सुशील कुमार माथुर पुत्र श्री बालिमुकन्द माथुर को कर दिया गया। श्री सुशील कुमार माथुर की मृत्यु दिनांक 25.12.2020 को हो जाने के उपरान्त उनके उत्तराधिकारी पुत्र द्वारा नामांतरण नियमानुसार उपलब्ध आवश्यक दस्तावेजों एवं पंजीकृत लिखितदिंह (हकदावा पत्र) दिनांक 20.10.2021 के आधार पर मण्डल के कार्यालय आदेश पत्रांक 2236 दिनांक 10.02.2022 के द्वारा आवास का नाम प्रतिस्थापन हस्तांतरण श्री सुधीर माथुर पुत्र स्व. श्री सुशील कुमार माथुर के पक्ष में जारी कर दिया गया। श्री सुधीर माथुर द्वारा उक्त आवास का बेचान जर्ये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 01.07.2022 को श्रीमती मनोलता मारोड़ी पत्नी श्री प्रवीण लाल मारोड़ी को कर दिया गया। श्रीमती मनोलता मारोड़ी द्वारा उक्त आवास का बेचान जर्ये पंजीकृत बयनामा दिनांक 29.07.2024 को श्रीमती भावनकी देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश ओड़ा एवं श्रीमती सुधा जैन पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार जैन को संयुक्त रूप से कर दिया गया। श्रीमती भावनकी देवी व श्रीमती सुधा जैन द्वारा उक्त आवास का मण्डल नियमानुसार संयुक्त रूप से लीज हस्तांतरण किये जाने हेतु दस्तावेज एवं शुल्क जमा करा कर आवेदन किया गया है। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 2/373, एच.डब्ल्यू.बी. योजना, अलवर के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती भावनकी देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश ओड़ा एवं श्रीमती सुधा जैन पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार जैन के पक्ष में आवास के संयुक्त नाम से लीज हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत अलवर

कार्यालय नगर परिषद, किशनगढ़ जिला -अजमेर (राज)

क्रमांक : न.प.कि./नक्शा प्रोजेक्ट/2025/29 दिनांक : 06.10.2025

-:: ई - निविदा सूचना संख्या 07 व 08/2025 - 2026 ::-

नगर परिषद किशनगढ की और से नगर परिषद किशनगढ एवं राजकीय विभाग में अनुसार निर्धारिणी श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्रों में ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया से नगर परिषद किशनगढ में नक्शा पायलेट परियोजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य (20 सर्वेक्षण दल) हेतु सर्वेयर, हेल्पर एवं वाहन मय चालक उपलब्ध करवानें सम्बन्धित कार्य हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। कार्य की निविदा बेचे जानें की दिनांक 07.10.25 को प्रातः 9:00 बजें से तथा प्राप्त करनें की दिनांक 11.10.25 को दोपहर 12:00 बजें तक एवं निविदा शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in/ व https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

UBN No. DLB2526A6833, DLB2526A6834

आयुक्त
नगर परिषद, किशनगढ

राज.संवाद/सी/25/11646

कार्यालय नगर निगम जयपुर, हेरिटेज

(पुराना पुलिस मुख्यालय, हवामहल के पास)

क्रमांकः एफ 13()ज्या.लैण्ड/नविज/2025/723 दिनांक 07/10/025

सार्वजनिक सूचना

मूल भूखण्ड संख्या 322, आदर्श नगर, जयपुर का पट्टा श्री हरबन्स सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह को दिनांक 23.12.1971 को 492.72 वर्ग गज का जारी किया गया था। श्री दीपक परनामी पुत्र स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार परनामी भूस. 322, आदर्श नगर, जयपुर का पूर्वी भाग क्षेत्रफल 246.36 व.ग. एवं श्री आशीष परनामी पुत्र स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार परनामी भूखण्ड संख्या 322, आदर्श नगर, जयपुर का पश्चिमी भाग क्षेत्रफल 246.36 व.ग. का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति एवं अण्डरटेकिंग के आधार पर एवं अन्य दस्तावेजो के आधार पर आवेदन प्रस्तुत कर उप विभाजन / नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति संस्था, फर्म,कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त.लैण्ड झाखा) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार उप विभाजन/नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

उपायुक्त (लैण्ड) नगर निगम जयपुर, हेरिटेज

नाम परिवर्तन

मैं कोइला पत्नी श्री राज कुमार निवासी धौरहरा, पिपरागौतम, उत्तरप्रदेश। मुझे मेरे पुत्र चन्दन की मार्कशीट में मेरा नाम अंजलि देवी के स्थान पर नया नाम कोइला (KOILA) करवाना है। भविष्य में मुझे कोइला (KOILA) नाम ही रखना है।

मैं कु. गौरवी वर्मा पत्नी सेना नं. 15212946-P हवलदार (टी ए) सत्यदेव गांव रूसिया, पोस्ट डिघरूवा, तहसील बिन्दकी, जिला फतेहपुर राज्य उत्तर प्रदेश पिन 212657 मेरे पति के सेवा अभिलेख में मेरा नाम गौरवी वर्मा (GAURAVI VERMA) दर्ज है जबकि मेरा सही नाम कु. गौरवी वर्मा (KM. GAURVI VERMA) है।

I have changed my name from Divyapreet Kaur Walia (d/o Jatinder Singh Walia) to Divyapreet Kaur for all purpose R/o Flat G-2, D-148 Durga Marg, Paradise Apartment Banipark Jaipur-302016

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 275/2024

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री महावीर प्रसाद जैन निवासी 65-66 जैन मौहल्ला, सीटीएस बस स्टेण्ड के पास, सांगानेर बाजार सांगानेर जिला जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर संघी जी प्रबंध समिति सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 01.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 04.12.2025

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/753

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि प्रार्थी श्री अक्षिता शर्मा राबडो की ढाणी, वाटिका जयपुर राजस्थान 303905 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास धर्म अस्तित्व फाउंडेशन, राबडो की ढाणी, वाटिका जयपुर राजस्थान 303905 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 01.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 11.12.2025

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

स्वच्छ फुलेरा-स्वस्थ फुलेरा

प्ररूप-10 (नियम 6 (7) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय, नगर पालिका मण्डल, फुलेरा

लोक सूचना

क्रमांक/न.पा.फु./2025-26/1820 दिनांक-07.10.2025

श्रीमती सुरज्ञान देवी पत्नि श्री मानाराम निवासी ग्राम पोस्ट श्रीरामपुरा दाया नरायना, तहसील फुलेरा जिला जयपुर (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर- कृषिक प्रयोजन के उपयोग (भू-रूपान्तरण) हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
जिला जयपुर जयपुर तहसील फुलेरा	फुलेरा	खसरा नम्बर 341/2 रकबा 2.0232 हैक्टेयर, किस्म बारानी 2 कुल खसरा 01 कुल रकबा 2.0232 हैक्टेयर भूमि में से 2 हैक्टेयर अर्थात 20000 वर्गमीटर भूमि,	2.0232 हैक्टेयर भूमि में से 2 हैक्टेयर अर्थात 20000 वर्गमीटर भूमि

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोगार्थ हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वाप